(ग) इस बारे में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति०त० कृष्णमाचारी): (क) 25 अक्तूबर, 1964 को केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के अफसरों ने उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में शोरतगढ़ के एक सुनार के व्यापार घर और रिहायशी घर की तलाशी ली थी और एक रुपये वाले चांदी के 3439 नेपाली सिक्के चांदी की 13 नेपाली अठन्नियां, तीन चांदी की ईंटें और एक ट्रांजिस्टर रेडियो पकड़ा गया था ।

(ख) लगभग 7735 रुपये ।

(ग) मामला विभाग के न्याय निर्णयाधीन है ।

Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Authority

1844. **Dr. Saradish Roy:**
Dr. Ranen Sen:
Shri Dinen Bhattacharya:

Will the Minister of **Health** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Calcutta Metropolitan Planning Organisation has finalised a scheme for the establishment of the Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Authority to cater to the need of Greater Calcutta; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of Health (Dr. Sushila Nayar): (a) A draft bill for the establishment of the Calcutta Metropolitan Water and Sanitation Authority has been prepared by the Calcutta Metropolitan Planning Organisation and is under examination by the State Government.

(b) Does not arise.

बम्बई में तलाशियां

1845. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय आबकारी विभाग के अधिकारियों ने 19 नवम्बर, 1964 को बम्बई के कमातीपुर क्षेत्र में कुछ फ्लेटों की तलाशी ली थी ;

(ख) यदि हां, तो तलाश के दौरान बरामद हुए चोरी के माल का ब्योरा क्या है और

(ग) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) (क) और (ख) 19 नवम्बर, 1964 को बम्बई के तथाकथित कमातीपुर क्षेत्र में सुखलाजी स्ट्रीट पर दुकान नं० 17, की तलाशी ली गई थी और 27 हाथ की घड़ियां, 12 ट्रांजिस्टर और एक टेप रिकार्डर पकड़ा गया था । पकड़े गये माल का कुल मूल्य करीब 5,315.00 रु० है ।

(ग) मामले की जांच-पड़ताल हो रही है ।

Application of New Sections of Companies Act

1846. **Shri D. C. Sharma:** Will the Minister of **Finance** be pleased to state whether the provisions of the newly enacted Section 263-A of the Companies Act, 1956 will be applicable to such companies only as have obtained from the Central Government a licence as required by Section 25 of that Act?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari): No. The provisions of Section 263-A of the Companies Act, 1956 are applicable to all Companies that do not carry on business for profit or that prohibit the payment of dividends to their members, whether such companies are licensed under Section 25 of the Act or not.